समक्ष :— न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. केम्प भोपाल

R 7051-PB/17

Redor II

Presented by Shri Rahul Karwal Advocate Harda on 16/3/17

16/3/17

1792
16.03.17

पुनरीक्षण कमांक :— /2017
प्रस्तुत दिनांक :— 16 मार्च 2017

श्रीमति मुन्नी बाई अग्रवाल आयु लगभग 61 साल,
पत्नि गोपालदास अग्रवाल, धंधा गृह कार्य,
निवासी छत्रपति शिवाजी वार्ड, हरदा,
जिला हरदा म. प्र ....पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

:: ब ना म ::

म.प्र. शासन,
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प,
हरदा जिला हरदा (म.प्र.) ....उत्तरवादी

निर्देश व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

पुनरीक्षणकर्ता की और से निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत कर विनय है :—

यह कि, पुनरीक्षणकर्ता की और से न्यायालय श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प हरदा जिला हरदा म. प्र. के द्वारा प्रकरण कमांक 05/सी—132/13—14 में पारित आदेश दिनांक 18/02/2016 से असंतुष्ट/दुःखी व पीडित होकर यह निर्देश/पुनरीक्षण पेश कर निवेदन है कि :—

R7051-PBR/17 इरफ

31.8.2017

आवेदिका की ओर से श्री राहुल कछवाह अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया। इस न्यायालय में यह निगरानी लगभग। वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण आदेश की जानकारी नहीं होना एवं प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर आदेश की जानकारी होना दर्शाया गया है, जो समाधान-कारक कारण नहीं है। अतः यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत होने से अग्राह्य की जाती है।

अध्यक्ष

31/8/17